

उत्तर प्रदेश गजट, २७ अगस्त, १९५५

११७६

वन विभाग

छुटी

२३ अगस्त, १९५५ ई०

अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित स्पेशल लैंड एक्वीजिशन आफिसर्स को उक्त ऐक्ट के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग के सामने उल्लिखित जिले में प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं जब तक कि वे स्पेशल लैंड एक्वीजिशन आफिसर के पद पर नियुक्त रहें :-

क्रम-सं०	अधिकारी का नाम	जिला
१	श्री अम्बा प्रसाद	बनारस।
२	," त्रिलोक सिंह	फैजाबाद।
३	," फयाज हुसेन	झांसी।
४	," दीनानाथ शर्मा	गोरखपुर।

२४ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ५६२१/१-अ-५०६-५४-लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट, १९४४ (ऐक्ट संख्या १, १९४४) की धारा ३ के खंड (सो) द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय श्री कृष्णा सागर त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर, वस्ती को उक्त ऐक्ट के अधीन जिला वस्ती में कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं।

सं० ३९२०/१४-६०(१)-५५-थी आर० एन० गैरोला, पी० एफ० एस०, डिप्टी कमरवेटर आफ फारेस्ट्स को २२ सितम्बर, १९५५ ई० से ३१ दिनों को उपोक्त छुट्टी दी जाती है और उन्हें २३ से २६ अक्टूबर, १९५५ ई० रविवार तथा अन्य गजट पर छुट्टियां उस छुट्टी के साथ सम्मिलित करने की आशा दी जाती है।

नियुक्ति

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३९२०(२)/१४-६०(१)-५५-कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से श्री श्रीब्रह्मा, पी० एफ० एस०, असिस्टेंट कमरवेटर आफ फारेस्ट्स को श्री आर० एन० गैरोला, पी० एफ० एस० के स्थान पर, जिनको छुट्टी दी गई है, स्थानापन्न डिप्टी कमरवेटर आफ फारेस्ट्स, कालागढ़ फारेस्ट डिवीजन नियुक्त किया जाता है।

विविध

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३२०८/१४-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का यह मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) की धारा २६ की उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित जांच करने और अभिलेख तैयार करने में इतना अधिक समय लगना कि उस बीच में राज्य सरकार के अधिकारों के बाधित होने की आशंका है।

अतएव अब वह उपर्युक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खंड द्वारा तथा उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (१) द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करके ऐसी जांच होने और अभिलेख तैयार होने तक उक्त ऐक्ट के चैप्टर ४ के निदेश इससे संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पर लागू प्रस्थापित करते हैं।

अनुसूची

क्रम-संख्या	भूमि का नाम जो भारतीय वन ऐक्ट परिच्छेद ४ के अन्तर्गत रक्षित वन घोषित की गई है	जिला	रुड़क की लम्बाई मीलों में	सीमा का वर्णन
१	ग्रैंड ट्रंक रोड, मील ५६२/० से लेकर मील ६६३/० तक	कानपुर	७१ ० ०	जमीन की हदबन्दी पर्यर या सीमेंट के स्तम्भों या लाइनों द्वारा उस स्थान पर की गई है।
२	कानपुर-कालपी सड़क, मील ५२/० से लेकर मील ६६/० तक	"	४४ ० ०	"
३	कानपुर-हमीरपुर सड़क, मील २/० से लेकर मील ३९/० तक	"	३७ ० ०	"
४	श्रीहृदयमगल रोड, मील ११६/० से मील १७३/० तक	"	५४ ० ०	"
५	लखनऊ-कानपुर सड़क, मील /० से लेकर मील ४६/३-६४० फीट तक	लखनऊ और उन्नाव	४६ ३ ६४०	"
६	लखनऊ-बरेली सड़क मील /० से लेकर मील १५२/० तक	लखनऊ, सोतपुर, शाह-जापुर, बरेली	१५२ ० ०	"
७	लखनऊ-प्रतापगढ़ सड़क, मील /० से लेकर १०८/० तक	लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़	१०८ ० ०	"
८	लखनऊ-सुल्तानपुर सड़क, मील /० से लेकर मील ८५/१-२२८ फीट तक	लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी और सुल्तानपुर	८५ १ २२८	"
९	लखनऊ-फैजाबाद सड़क, मील /० से लेकर मील ७६/३-३६६ फी० तक	लखनऊ, बाराबंकी और फैजाबाद	७६ ३ ३६६	"

प्रतिहस्ताक्षरित

*[Signature]*

प्रभाग निदेशक

२ बाराबंकी

Executive Engineer  
National Highway Divn.  
P.W.D. Lucknow

क्रम सं०	भूमि का नाम जो भारतीय वन ऐक्ट परिच्छेद ४ के अन्तर्गत रक्षित वन घोषित की गई है	जिला	सड़क की लम्बाई मीलों में	सीमा का वर्णन
१०	इलाहाबाद-फंजाबाद सड़क, मील ०।० से लेकर मील ६।५-५१३ फी० तक	इलाहाबाद, प्रतापगढ़, मुस्तानपुर, फंजाबाद	१८ ६ ५१३	जमीन की हवबन्दी पर या सीमेंट के रतमों या खाइयों द्वारा उत्स १५ न। र की गई है।
✓ ११	धाराबंकी-वहरामघाट सड़क, मील ०।० से लेकर मील २५०।० तक	धाराबंकी	२५ ० ०	"
१२	सीतापुर-जहाँगीराबाद सड़क, मील ०।० से लेकर मील २५०।० तक	सीतापुर	२५ ० ०	"
१३	मेरठ-बरेली सड़क ( सिदाय रामपुर स्टेट के), मील ३४०।० से लेकर मील ५६।५-३०० फीट तक और मील १०६।७-६८ फी० से लेकर मील १२६०।० तक	मुरादाबाद और बरेली	७४ ६ २३२	"
१४	बरेली-मथुरा सड़क मील, ०।० से लेकर मील ५०।० तक	बरेली और बदायूं	५० ० ०	"
१५	बरेली-अल्मोड़ा सड़क, मील ०।० से लेकर मील ६३०।० तक	बरेली और नैनीताल	६३ ० ०	"
१६	बरेली-पोलीभीत सड़क, मील ०।० से लेकर मील ३३०।० तक	बरेली और पोलीभीत	३३ ० ०	"
१७	पोलीभीत-टनकपुर सड़क, मील ३३०।० से लेकर मील ६२०।० तक	पोलीभीत और नैनीताल	२६ ० ०	"
१८-(अ)	जोया-विजनीर सड़क, मील १६०।० से लेकर मील ७५।६ तक	मुरादाबाद और विजनीर	५९ ६ ०	"
१८-(ब)	विजनीर-रावली सड़क, मील ०।० से लेकर मील ७०।० तक	मुरादाबाद और विजनीर	७ ० ०	"

सं० ३२०८ (२)/१४-इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) को धारा ३० द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रक्षित वनों ( protected forests ) में जो दिनांक २३ अगस्त, १९५५ को विज्ञप्ति संख्या ३२०८/१४ द्वारा इस रूप में प्रख्यापित किये गये थे, लगे हुये और बढ़ते हुये पेड़ों के निम्नलिखित वर्गों को इस विज्ञप्ति के दिनांक से सुरक्षित ( reserved ) प्रख्यापित करते हैं:-

- ४३-पतजू, पतजी, पुत्रजीय
- ४४-साल
- ४५-तार चरबी
- ४६-वेद, विला
- ४७-गोबगुवाला
- ४८-सिहीर
- ४९-अर्जुन
- ५०-इमली
- ५१-बहेड़ा
- ५२-असना या सेंन
- ५३-गुदेल
- ५४-सागौन या टीक
- ५५-रोठा

वृक्षों के नाम

- १-चबूल
- २-खैर
- ३-झरू
- ४-सफेद सिरिस
- ५-हल्दू
- ६-काता सिरिस
- ७-नीम
- ८-कदम
- ९-रियोज
- १०-वाकली
- ११-महुआ
- १२-कचनार
- १३-सेमल
- १४-ढाक
- १५-अमवतास
- १६-तुल
- १७-लसोड़ा
- १८-विलायती शीशम सितसाल
- १९-शीशम
- २०-यूके सिप्टस
- २१-जामुन
- २२-बरगद
- २३-गूलर
- २४-पाकड़
- २५-नीपल
- २६-कंथा
- २७-गम्हार या खमार
- २८-फंजू या पापड़ी
- २९-सागौन
- ३०-बौरंग
- ३१-आम
- ३२-बकंन
- ३३-नीम झमेली
- ३४-तूत
- ३५-मोलसारी
- ३६-सोजना
- ३७-अशोक
- ३८-विलायती बबूल
- ३९-झोकर
- ४०-गोल्ड मोहर, गुल मोहर
- ४१-कंजी
- ४२-खजूर

संशोधन

२२ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३६६४/१४-४५८-५४-१६५० ई० के उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम ( १९५१ ) का उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १ ) को धारा ११७ के द्वितीय-प्रतिबन्ध से मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में प्रवृत्त क्षेत्र को जो ११ अक्टूबर, १९५२ को विज्ञप्ति सं० ६१७/१४ के अधीन गाल-समाज में निहित हुआ था, वापस लेते हैं।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूमि का क्षेत्रफल
उत्तराखण्ड	हसनगंज	सलोटर	महुमपुर	६६ एकड़

प्रतिहस्ताक्षरित

  
Executive Engineer  
National Highway Divn.  
P.W.D. Lucknow

  
प्रभागीय निदेशक  
वा० वा० व० प्रभाग  
उत्तराखण्ड